FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

सीताराम बनाम कैलाश

नं. .... सन् ....

किस्म मुकदमा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
[illegible]2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र कायम मुकामान वादीगण संख्या 14, 15, 22, 27, 34, 39 एंव प्रतिवादी संख्या 16 का मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया। जिसकी नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई जाने पर वकील प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर मय हस्ताक्षर अंकित किया। अतः वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् वादीगण संख्या 14, 15, 22, 27, 34, 39 एंव प्रतिवादी संख्या 16 का मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किये जाने की अनुमति दी जाती है तथा मृत्तक वादीगण संख्या 14, 15, 22, 27, 34, 39 एंव मृत्तक प्रतिवादी संख्या 16 के विधिक वारिसान् को प्रतिस्थापित कर रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक वाद पत्र पेश किया। जिसकी नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई जाकर संशोधित शीर्षक वादपत्र को शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते पेश होने जवाब दावा प्रतिवादीगण संख्या 16 पत्रावली दिनांक 17.02.2023 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.03.14 12:53:14 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सीताराम बनाम कैलाशी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2023	पत्रावली आज पेश हुई। मुकुलाहा उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादीगण क्रमांक 16/1 से 16/5 की ओर से श्री सुभाष कुमार वर्मा एड0 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से दिनांक 27.10.2022 को प्राप्त हो चुकी है। उक्त प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वादपत्र में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना लिखित में अंकित करते हुए अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत [illegible] (कमलेश कुमार [illegible]) (सुभाष कुमार वर्मा)

17/02/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.14 12:53:14 IST
Reason: SelfAttested